आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

16/01/2024

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 28/2019—2020

(भूदान पत्र—दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

भूदाता श्री रामानन्द सिंह, पिता—राम खेलावन सिंह, ग्राम—ढ़ोढ़रा, थाना—रामपुर चौरम, अंचल—अरवल, जिला—अरवल संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद—सह—अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान—यज्ञ—दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान—यज्ञ—दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:—

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
—	600	01 कटटा	उतर—राजाराम सिंह दक्षिण—देव शरण सिंह पूरब—नीज पश्चिम—सड़क

मौजा—ढ़ोढ़रा, थाना—रामपुर चौरम, थाना नं०—104, अंचल+जिला—अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता के तरफ से उपस्थित हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं प्रस्तावित भूमि की जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। दाता के तरफ से कोई उपस्थित नही हुए और न ही किसी के द्वारा कोई आपति दर्ज किया गया है।

भूदान यज्ञ—दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर भूदाता एवं चन्द्रदेव सिंह गवाह का नाम दर्ज है। भूदाता द्वारा दिनांक 16.03.1954 से भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से भूमि दान में दिया गया हैं। अंचल अधिकारी अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतियान उपलब्ध नही है। संजय सिंह, पिता—रामानन्द सिंह के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्तमान में प्रस्तावित भूमि में रोड़ चौड़ीकरण में एन० एच० रोड़ निर्मीत है। भूमि रैयति खाते की है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ मालिक/आम, कैसरे हिन्द, धार्मिक, न्यास, वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान, श्मशान से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में चूँकि भूमि पर एन० एच० सड़क बना है इसलिए प्रस्तावित भूमि में दान पत्र को असंपुष्ट किया जाता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद—सह—अरवल एवं अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

16/01/2024

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

16/01/2024

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।